



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2018/आश्विन 3, 1940

No. 677]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2018/ASVINA 3, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 920(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : —

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 10 में उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“(1क) यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति अधिक भार लदे वाहन को राजमार्ग पर प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित के बराबर फीस उपयोक्ता फीस संग्रहण अभिकरण को संदाय करने का दायी होगा : —

अधिकतम अनुज्ञेय सकल यान भार के ऊपर अतिरिक्त भार की प्रतिशतता	फीस की आधार दर का गुणक कारक	फीस
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन उन यांत्रिक वाहनों के ऐसे प्रवर्ग के लिए लागू फीस) X (गुणक कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छः	
>60% से 80%	आठ	
>80% और इससे अधिक	दस	

[फा. सं. एच-25016/1/2018-टोल]

अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं.950 (अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. सं. 15 (अ), तारीख 12, जनवरी, 2011; सा.का.नि. सं. 756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011; सा.का.नि. सं. 778 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 831 (अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. सं.02 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. सं. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015; सा.का.नि. सं. 585 (अ), तारीख 8 जून, 2016 ; सा.का.नि. सं. 1114 (अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016 ; सा.का.नि. सं. 248 (अ), तारीख 14 मार्च, 2017 और सा.का.नि. सं. 427 (अ), तारीख 7 मई, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2018

G.S.R. 920(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 namely:

1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 10, for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1A) The driver or owner or person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the national highway, to the user fee collecting agency, equal to fees as follows:—

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying factor to base rate of fees	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) X (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and above	Ten	

[F. No. H-25016/1/2018-Toll]

AMIT KUMAR GHOSH, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. No. 950 (E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756 (E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. No. 778 (E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26 (E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831 (E) dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 02(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585 (E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. No. 1114 (E), dated 2nd December, 2016, G.S.R. No. 248 (E), dated 14th March, 2017 and G.S.R. No. 427 (E) dated 7th May, 2018.